न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 55/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
बस्तीराम पुत्र छोगा, जाति बावरी, उम्र 55 वर्ष, निवासी खारची गांव, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली(राज.)		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री अशोक अरोडा, तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 13/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष पटवारी हल्का खारची द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा मौजा खारची के खसरा नंबर 622 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाडी की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखली, जुर्माना, एवं तीन माह के सिविल कारावास के दंड से दंडित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.08.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में जारी नोटिस न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट को मिला एवं न ही अपीलांट द्वारा तामिल किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफानिर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 01.02.2016 को नोटिस जारी होना बताया गया उक्त नोटिस में सरकारी जमीन का नाप सिर्फ 0.0650 दर्ज है। एवं पत्रावली पर जो पटवारी की रिर्पोट उपलब्ध है उसमें 0.0600 माप दर्ज है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के दिये गये बयानो के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर जेठी पत्नी जीवाराम कोम बावरी साकिन खारची ने अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाया है जिसमे अपीलांट के अतिक्रमी होने का कोई जिक्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर अपीलांट के पश्चावर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आनन फानन में जैर अपील निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया मौजा खारची के खसरा नंबर 622 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाडी की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना एवं सिविल कारावास की सजा से आरोपित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा खारची के खसरा नंबर 622 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाडी की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अपीलाण्ट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा के कारण पटवारी हल्का खारची द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 15.02.2016 की तारीख पेशी नियत की। उसके पश्चात दिनांक 15.02.2016 को पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध कराये जाकर पत्रावली 24.02.2016 को पेशी नियत की गई। एवं दिनांक 24.02.2016 को अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए जैर आदेश द्वारा बेदखली, जुर्माना, एवं पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा आरोपित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो सम्मन जारी किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गये ,उक्त नोटिस बातीराम पुत्र छोगालाल के नाम से जारी किये गये जो कि जेठी पत्नी जीवाराम से तामिल प्राप्त हुए। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 91 की कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं था। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने अपने बयान में वादग्रस्त आराजी पर जेठी पत्नी जीवाराम कौम बावरी साकिन खारची का अतिक्रमण होना एवं पूर्व में बेदखली किये जाने का जिक्र किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये, अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये आनन फानन में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण संख्या 06/2016 में नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 13/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली